1

न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 05 / 2015</u> संस्थित दिनांक—30.10.06 फाईलिंग नंबर—230303000782006

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म०प्र०) —————अभियोजन

वि रू द्ध

 सूबेदार पुत्र रामचरन दण्डौतिया उम्र 34 साल निवासी गल्ला कोठार तोमर बिल्डिंग के पीछे मुरार ग्वालियर म0प्र0

.....उपस्थित आरोपी

- 2. भारतेन्दु उर्फ बंटी कटारे पुत्र परशुराम कटारे
- 3. मनीष राठौर पुत्र वीरेन्द्रसिंह राठौर

.....मृत आरोपीगण

- 4. रामअवतार पुत्र नाथूराम शर्मा उम्र 35 साल निवासी कबीर कॉलोनी नदी पार टाल थाना मुरार ग्वालियर
- 5. मेहताबसिंह लोधी पुत्र रामदीन लोधी उम्र 30 साल निवासी मकान नंबर—554 टाटीपुर मुरार जिला ग्वालियर

.....फरार आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी सूबेदार द्वारा श्री आर0सी० गुप्ता अधिवक्ता ।

-::- <u>निर्णय</u> -::-(आज दिनांक **31 जुलाई 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अभियुक्त सूबेदार के विरूद्ध धारा 399, 400 एवं 402 भा0द0वि0 सहपिटत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 09.07.06 को 17.35 बजे पिपहड़ी हेट तिराहा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र जिला भिण्ड में जहाँ दिनांक 20.01.2000 से एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील है, बस लूटने की तैयारी कर विनिर्दिष्ट अपराध किया एवं अभ्यास्तः डकैती करने के प्रयोजन से सह अभियुक्त होकर उक्त टोली का सदस्य था पिपाहड़ी हेट तिराहे पर बस की लूट कारित करने के उद्धेश्य से एकत्रित होकर विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण

भारतेन्दु उर्फ बंटी कटारे एवं मनीष राठौर फोत हो चुके हैं तथा आरोपीगण रामअवतार एवं मेहताबसिंह लोधी स्थाई रूप से फरार घोषित किये गये हैं।

- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर को दिनांक 09.07.06 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पांच बदमाश हथियारबंद होकर गोहद से सुनारपुरा जाने वाली बस में डकैती डालकर पिपाहडी हेट तिराहा पर बस लूटने वाले हैं। मुखबिर की सूचना से फोन से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तथा एस०डी०ओ०पी० मेहगांव ने मौके पर तुरंत पहुचकर तश्दीक कर कार्यवाही करने हेत् उसे आदेश दिया गया। मृताबिक आदेश थाने पर उपस्थित बल एच0सी0 पचौरी, तोमर, आरक्षक रामनिवास, केशव, भारतेन्द्र, अवधेश, जगराम, विनोद के साथ साक्षी लल्लू मेहतर को साथ लेकर पिपाहडी हेट तिराहा के पास पहुंचकर देखा तो संदेहियों की एक मारूति कार 800 सिल्वर कलर की गोरमी के पास खडी मिली। तथा पांच व्यक्ति आसपास की झाड़ियों में छूपे हुए हाथों में हथियार लिये दिखे। वह तथा हमराह स्टाफ छिपते हुए बदमाशों के पास पहुंचे तथा बदमाशों को रोका तो उन्होंने भागने का प्रयास किया जिनमें से चार बदमाशों को मौके पर मय हथियार व कारतूसों के दबोचा तथा एक बदमाश भाग गया। पकड़े गये बदमाशों के नाम पते पूछे तो अपने नाम क्रमशः भारतेन्द्र उर्फ बंटी कटारे निवासी सीताराम की लावन गोरमी, रामअवतार पुत्र नाथुराम शर्मा निवासी कबीर कॉलोनी मुरार, मनीष राठौर पुत्र वीरेन्द्र राठौर निवासी कुम्हरपुरा चौराहा ठाठीपुर एवं मेहताब सिंह लोधी पुत्र रामदीन लोधी निवासी 554 ठाठीपुर मुहल्ला मुरार बताया। भागे हुए बदमाश का नाम पता पूछा तो सभी ने उसका नाम सूबेदार दण्डोतिया उम्र 29–20 साल निवासी सुरेश नगर टाटीपुर बताया। जामा तलाशी लेने पर आरोपी बंटी कटारे के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा दो जिन्दा कारतूस, रामअवतार के कब्जे से एक तलवार, मनीष राठौर के कब्जे से (पेन्ट के दांहिनी तरफ) एक 315 बोर का कट्टा एक जिन्दा कारतूस, मेहताबसिंह लोधी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा तथा दो जिन्दा कारतूस मिले जिन्हें समक्ष गवाहान विधिवत जप्त किया गया। आरोपीगण से मौके पर छिपने का कारण पूछा तो हथियारों की नोक पर गोहद तरफ से आने वाली बस में डकैती डालना बताया। भागे हुए बदमाश सूबेदार दण्डोतिया की तलाश की परन्तु वह नहीं मिला। मौके पर आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा—399, 400 एवं 402 भा०द०वि० एवं एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से विधिवत आरोपीगण को प्र0पी0-6 लगायत प्र0पी0-8 के अनुसार गिरफ़तार किया गया एवं उनसे जप्ती प्र0पी0–9 लगायत प्र0पी0–12 तैयार की गई। तथा उक्त अपराध में प्रयोग की जाने वाली मारूति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 को भी मौके पर गाडी संबंधी कागजात न होने से प्र0पी0–13 के अनुसार जप्त किया गया। तथा आरोपीगण एवं जप्तशुदा आयुध एवं कार को थाने लाया गया।
- 4. थाने पर आकर आरोपीगण के विरूद्ध अप.क.—118/06 धारा—3399, 400, एवं 402 भा0द0वि0, 25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट का अपराध प्र0पी0—14 पंजीबद्ध किया गया। एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त सूबेदारिसंह के विरूद्ध धारा 399, 400 एवं 402 भा०द०वि० एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपी की

ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

- 6. प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - 1. क्या दिनांक 09.07.06 को 17.35 बजे पिपाडी हेट, तिराहा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र जिला भिण्ड में, जहाँ दिनांक 20.01.2000 से एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील था, बस लूटने की तैयारी कर विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया ?
 - 2. क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर ही आरोपी सूबेदार दण्डोतिया अभ्यस्तः डकैती करने के प्रयोजन से सह अभियुक्त होकर उक्त टोली का सदस्य था?
 - 3. क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर ही आरोपी ने पिपाहडी हेट तिराहा पर बस की लूट कारित करने के उद्धेश्य से एकत्रित होकर विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया?

-::-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न कमांक- 1, 2 व 3 का निराकरण

- 7. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
- 8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में बृजभूषण पचौरी (अ०सा0—1), मुन्नालाल (अ०सा0—2), श्रीकृष्णसिंह (अ०सा0—3), विजयसिंह तोमर (अ०सा0—4) अनिल सोनी (अ०सा—05), रामसेवक (अ०सा—06), ऋषिकेश शर्मा (अ०सा—07) की साक्ष्य कराई है। आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.—1 लगायत—प्रदर्श पी.—18 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।
- 9. अभियोजन कथानक मुताबिक प्र0पी0—1 के रोजनामचासान्हा पर दर्ज सूचना के आधार पर बस डकैती की सशर्त बदमाशों के द्वारा पिपाहडीहेट तिराहे पर डकैती की योजना की सूचना से एडीशनल एस0पी0 एवं एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव को अवगत कराते हुए एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव के निर्देश पर थाना प्रभारी गोहद चौराहा विजयसिंह तोमर को प्र0पी0—2 के मुताबिक दिये गये निर्देश के आधार पर प्र0पी0—3 मुताबिक मय पुलिस बल के एस0ओ0 विजयसिंह तोमर के द्वारा रवानगी की जाना और मौके पर से सूचना की तश्दीक करते हुए मारूति कार कमांक—एच0आर0—18 बी—6522 के पास खडे बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ने पर से मामला पंजीबद्ध किया गया था। मौके पर बंटी उर्फ भारतेन्दु, रामअवतार, मनीष व रामहेत को मय शस्त्रों के पकड़ा गया था जिनके द्वारा विचाराधीन आरोपी सूबेदार दण्डोतिया का नाम भी बताया जो मौके से फरार हुआ। इस आधार पर आरोपी सूबेदार को आरोपी बनाया गया। इससे प्र0पी0—4 मुताबिक एवं प्र0पी0—14 अनुसार कोई भी वस्तु बाद में भी बरामद नहीं हुई है। इस तरह से विचाराधीन आरोपी सूबेदार को पकड़े गये अभियुक्तों की जानकारी के आधार पर अभियोजित किया गया है। वह विधिक रूप से प्रमाणित होता है या नहीं और युक्तियुक्त संदेह के परे विरचित आरोप प्रमाणित होते हैं या नहीं क्योंकि सूबेदार मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है। और कथानक मुताबिक उसकी गिरफ्तारी दिनांक 13.08.06 को बाराहेट तिराहे से की जान

बताई गई है।

- घटना के स्वतंत्र साक्षीगण लल्लू मेहतर एवं मुन्नालाल बताये गये हैं 10. जिनमें से लल्लू मेहतर अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है और मुन्नालाल अ०सा०–२ के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अभियोजन कथानक का कोई भी समर्थन नहीं किया है। हालांकि वह अन्य सह अभियुक्तगण मेहताब, मनीष, रामौतार और भारतेन्द्र उर्फ बंटी के गिरफ़तारी पत्रक प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0-8 और जप्ती पत्रक प्र0पी0-9 लगायत प्र0पी0—12 एवं घटनास्थल से लावारिस अवस्था में प्राप्त हुई मारूति ८०० क्रमांक—एच०आर०—18 बी–6522 को प्र0पी0–13 के अनुसार जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी ने प्र0पी0–5 लगायत प्र0पी0—13 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किये हैं किन्तु जप्ती व गिरफ़तारी का कोई समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि जब उसके हस्ताक्षर कराये गये थे तब कोई भी आरोपी नहीं था। तथा पुलिस ने कोई भी दस्तावेज पढकर नहीं बताया था और थाने पर हस्ताक्षर करा लिये थे। उसके सामने किसी से कोई हथियार भी जप्त नहीं हुआ। हालांकि उक्त साक्षी विचाराधीन आरोपी से संबंधित साक्षी भी नहीं है किन्तु मूल कथानक का भी वह समर्थन नहीं करता है। इस तरह से विचाराधीन आरोपी के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। इसलिये अन्य परीक्षित साक्षी जो कि शासकीय सेवक होकर पुलिस कर्मी हैं, उनकी अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।
- 11. पटवारी रामसेवक अ०सा०—6 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने नायब तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 31.08.06 को घटनास्थल का नजरीय नक्शा प्र०पी०—16 तैयार करना बताया है जो भी औपचारिक साक्षी है और उसके अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
- प्रकरण के सर्वाधिक महत्व के साक्षी उपनिरीक्षक विजयसिंह तोमर 12. अ०सा०–४ है जिसने पुलिस केसडायरी को देखकर अपनी अभिसाक्ष्य देते हुए दिनांक 09.07.06 को थाना गोहद चौराहा पर थाना प्रभारी की हैसियत से पदस्थ रहना बताते हुए उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त होना बताया है जिसमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि हथियारबंद बदमाश मारूति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 पिपाहडी हेट तिराहे पर बस लूटने वाले हैं जिससे उसने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था और एस0डी0ओ0पी0 द्वारा उसे मौके पर जाकर कार्यवाही करने का निर्देश दिये गये थे जिस पर वह प्र0आर0 बुजभूषण पचौरी, श्रीकृष्ण तोमर, आरक्षक भारतेन्द्र, विनोद, रामनिवास, केशव व जगराम आदि को मय पुलिस वाहन के आर्म्स एवं एम्युनिशन लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था और उसने वहाँ मारूति कार खड़ी देखी थी। उसी के पास झाड़ियों में पांच बदमाश हथियारबंद छूपे हुए थे जिनको पकड़ा गया था तो भागने का प्रयास करने पर चार बदमाशों को पकड़ लिया था। एक भाग गया था। पकड़े गये आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने अपने नाम भारतेन्दु उर्फ बंटी कटारे, रामौतार, मनोज राठौर, मेहताब लोधी बताये थे और उन्होंने ही भागने वाले का नाम सूबेदार दण्डोतिया बताया था। पकड़े गये आरोपी रामौतार के कब्जे से एक तलवार, भारतेन्द्र उर्फ बंटी व मेहताब के कब्जे से 315–315 बोर के देशी कट्टे व दो दो जिन्दा कारतूस, मनीष राठौर के कब्जे से 315 बोर का कट्टा व एक जिन्दा कारतूस जप्त करना बताया है जिनका गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—5 लगायत 8 व जप्ती पत्रक प्र0पी0—9 लगायत 12 मौके पर ही तैयार करना तथा घटनास्थल से मारूति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 को प्र0पी0-13 के अनुसार जप्त करना बताया है।
- 13. उक्त साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मौके की कार्यवाही उपरान्त वे थाने वापिस आये थे और प्र0पी0—14 की उसने कायमी की थी तथा बाद में

अनुसंधान में प्र0आर0 बृजभूषण पचौरी व लल्लू मेहतर के कथन भी लिये थे। उक्त साक्षी से पैरा–13 में पूछे जाने पर उसने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी को गलत रूप से आरोपी बनाया गया है। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि घर से पकडकर आरोपी बनाया है और मनमाने तरीके से कार्यवाही की है। उक्त साक्षी की तरह ही प्र0आर0 बुजभूषण पचौरी अ0सा0–1, प्र0आर0 श्रीकृष्णसिंह अ0सा0–3 के द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है। बृजभूषण पचौरी अ०सा०–1 ने प्र०पी०–1 लगकायत ४ के रोजनामचासान्हा की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र0पी0—1 सी लगायत प्र0पी0—4 सी के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। उसने पैरा—6 में यह कहा है कि वह सीधे ही घटनास्थल पर पहुंच गये थे, कोई पार्टियाँ नहीं बनाई थीं। यह भी स्वीकार किया है कि लल्लू मेहतर थाने पर साफ सफाई करने आता है उसे थाने से ही साथ ले गये थे। लल्लू के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को साथ नहीं ले गये थे। जबकि प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0—13 की कार्यवाही का मुन्नालाल को भी साक्षी बनाया गया है। हालांकि मुन्नालाल अ०सा0-2 ने कोई समर्थन नहीं किया है। उसे यह जानकारी भी नहीं है कि मारूति कार का क्या नंबर था और पकड़ने के बाद वह सीधे थाने आये थे। थाने पर लिखापढी की गई थी। जबिक प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0-13 के मुताबिक मौके पर ही उक्त दस्तावेजों की लिखापढ़ी होना बताई गई है। वह आरोपीगण से तीन कट्टे व पांच कारतूस जप्त होना बताता है। लेकिन कट्टा कैसे थे, यह उसे ध्यान नहीं है और वह यह भी नहीं बता सकता है कि आरोपीगण को पिपाहड़ी से कितनी दूरी पर, किस स्थान पर, किसके सामने पकड़ा गया था जिसका वह यह कारण बताता है कि उसके द्वारा किसी आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया था, घर से आरोपीगण को पकडकर लाने स वह अवश्य इन्कार करता है।

इस प्रकार से मौके की लिखापढ़ी के संबंध में उक्त प्र0आर0 बृजभूषण पचौरी अभियोजन के कथानक से भिन्न कथन करता है। तथा उसके अभिसाक्ष्य में यह बात भी नहीं आई है कि पकड़े गये आरोपीगण के द्वारा विचाराधीन आरोपी सूबेदार का भी साथ होना बताया गया था। वह केवल इतना बताता है कि चार बदमाशों को पकड़ लिया था, एक भाग गया था। ऐसा ही श्रीकृष्ण अ०सा०–३ भी कहता है। जिन दस्तावेजों पर श्रीकृष्ण हस्ताक्षर करना बताता है, उसे पढ़कर सुनाये जाने का वह समर्थन नहीं करता है जिसका वह यह कारण बताता है कि उसके सामने ही लिखापढी हुई थी, उसे क्या पढकर सुनाते और वह मौके पर थाने से शाम 5.50 बजे रवाना होना, 20 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंच जाना तथा आठ लोगों के साथ जाना बताते हुए यह कहता है कि उन्होंने दो तरफ से घेरकर पकड़ा था, दो पार्टियाँ बनाई थीं जो वह मौखिक बताता है। लिखापढी में नहीं बनाई थीं। जबकि बृजभूषण पचौरी कोई पार्टी बनाने की बात का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में मौके की गतिविधि के संबंध में अ०सा०–1 व अ०सा०–3 में आपस में विरोधाभाष की स्थिति है और उन दोनों के कथनों में यह स्पष्ट रूप से तथ्य नहीं आया है कि आरोपीगण ने सुबेदार दण्डोतिया का मौके से फरार होना बताया था। वे एक व्यक्ति का भाग जाना अवश्य कहते हैं। किन्त् उनसे यह स्पष्ट नहीं कराया गया है कि भागे गये व्यक्ति का नाम पकड़े गये आरोपीगण के द्वारा बताया गया। ऐसे में प्र0पी0-4 सी व प्र0पी0—14 में सूबेदार के उल्लेख के बाबत उक्त साक्षियों के कथनों में सुदृढ साक्ष्य नहीं है।

15. मौके की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक विजयसिंह तोमर अ०सा०—4 जिसके द्वारा प्र0पी0—4 सी एवं प्र0पी0—114 की एफ0आई0आर0 दर्ज की गई जिसने इस बात से तो इन्कार किया है कि उसने आरोपी बंटी कटारे से जीप मांगी थी और उसने जीप देने से मना कर दिया, इस कारण झूंटा फंसा दिया। उक्त साक्षी के द्वारा मुखबिर की सूचना शाम 5.35 बजे मिलना फिर वरिष्ट अधिकारियों को फोन से अवगत कराना फिर नौ लोगों का घटनास्थल की ओर मय फोर्स रवाना होना बताया है। वह भी मुन्नालाल के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करता

है कि जिसे मौके की कार्यवाही का साक्षी बनाया गया है, लल्लू मेहतर को अवश्य थाने से ले जाना कहता है जो परीक्षित नहीं हुआ है। उक्त साक्षी के पैरा—11 मुताबिक पिपाहड़ी हेट के चारौ तरफ मकान बने हुए हैं। जबिक श्रीकृष्ण अ0सा0—3 के पैरा—6 मुताबिक आसपास बस्ती नहीं है न मकान बने हैं। थोड़ी दूरी पर श्यामपुरा वाले पण्डित जी का मकान अवश्य बताता है। 16. इन विरोधाभाषों से मौके पर वास्तविक कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है क्योंकि अ0सा0—4 के पैरा—9 मुताबिक मौके पर पहुंचकर पार्टियाँ नहीं बनाई थीं। सभी लोगों ने एक ही पार्टी में रहकर पकड़ा था। उसके मुताबिक आरोपीगण ने भागने का प्रयास नहीं किया था। न ही किसी आरोपी ने कोई फायर किये जो कट्टा लिये थे। इस प्रकार इस संबंध में भी विषंगति है कि मौके पर वास्तव में कोई कार्यवाही की गई। उक्त साक्षी का मौके से भाग जाना कथानक में कहा गया किन्तु विजयसिंह तोमर अ0सा0—4 ने पकड़े गये अभियुक्तों में से किसी का भी कोई धारा—27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन इस आशय का तैयार नहीं किया गया कि मौके से जो व्यक्ति भाग गया था, वह सूबेदार दण्डोतिया विचाराधीन आरोपी था। ऐसी स्थिति में अ0सा0—4 के अभिसाक्ष्य से आरोपी जितेन्द्र दण्डोतिया का अभियोजन द्वारा बताई गई बस डकैती की योजना में शामिल हो जाना संदिग्ध हो जाता है।

17. अन्य परिक्षित साक्षी आर्म्स कलर्क अनिल सोनी अ०सा0—3 का कथन विचाराधीन आरोपी से संबंधित है इसलिये उसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तथा ऋषिकेश शर्मा अ०सा0—7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.07.06 को थाना गोहद चौराहा पर ए 0एस0आई० के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए यह कहा है कि थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर थे जिनके द्वारा उसे अप०क०—118/06 धारा—399, 402 भा०द०वि, 25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट की केसडायरी अग्रिम विवेचना के लिये दी गई थी। और उसने दिनांक 21.07.06 को केसडायरी प्राप्त होने पर उसी दिन थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी0—17 तैयार किया था। जबकि प्र०आर० बृजभूषण पचौरी अ०सा0—1 पैरा—9 में घटना दिनांक को ही पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा बनाया जाना कहता है। घटना दिनांक 09.07.06 की है। यह भी एक ही विभाग के पुलिस अधिकारी कर्मचारी होते हुए दोनों साक्ष्यों के मध्य उत्पन्न विरोधाभाष महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब मामला केवल पुलिस साक्षियों पर आधारित हो तो वहाँ पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य प्रत्येक प्रकार के संदेहों से परे होना चाहिए तब उन पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। जैसा कि न्याय दृष्टांत विनोद कुमार शुक्ला विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० 1999 पार्ट—2 एम०पी०जे०आर० पेज—247 के पद—12 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

18. अ०सा०—7 के द्वारा विवेचना में आरक्षक रामनिवास, प्र०आर० श्रीकृष्ण आरक्षक जगरमिसंह एवं साक्षी मुन्नरालाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताया गया है जिनमें से मुन्नालाल का कोई समर्थन नहीं है और उक्त विवेचक द्वारा लिये गये कथनों में से केवल प्र०आर० श्रीकृष्ण परीक्षित हुआ है जिसका कथन भी उत्पन्न विरोधाभाषों को देखते हुए विश्वसनीय नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचक की विवेचना औपचारिक स्वरूप की हो जाती है। तथा केवल आरोपी सूबेदार को दिनांक 13.08.06 का प्र०पी०—18 के मुताबिक गिरफ्तार किये जाने के आधार पर ही उसे बताई गई घटना में बस डकैती की योजना में शामिल होना पुष्ट नहीं होता है। और आरोपी सूबेदार का भी कोई मेमोरेण्डम कथन घटना में संलिप्तता संबंधी नहीं लिया गया है। ऐसे में केवल विरोधाभाषी साक्षियों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि घटना में आरोपी सूबेदार शामिल था और अभिलेख पर इस तथ्य के संबंध में कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है कि सह अभियुक्तगण के द्वारा आरोपी सूबेदार के शामिल होने के संबंध में कोई जानकारी दी गई या वास्तव में मौके से जो

व्यक्ति भागा था वह आरोपी सूबेदार ही था।

19. अतः ऐसी स्थिति में विचाराधीन आरोपी सूबेदार के विरुद्ध संपूर्ण मामला संदिग्ध है और युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी सूबेदार दिनांक 09.07.06 को पिपाहड़ी हेट तिराहे पर जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के प्रभावी रहते हुए बस डकैती की तैयारी कर अपराध को कारित करने की घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्य क्ष रूप से अन्य अभियुक्तगण के साथ सम्मिलित रहा । ऐसे में उसके विरुद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है इसलिये संदेह का लाभ देते हुए आरोपी सूबेदार को धारा—399, 400 एवं 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपी सूबेदार के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21. प्रकरण में अभी अन्य सह अभियुक्तगण मेहताबसिह लोधी व रामअवतारसिंह फरार हैं अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई अंतिम निराकरण नहीं किया जा रहा है।

22. निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः **31 जुलाई 2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड